सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

PRESS NOTE RANGE AZAMGARH

जनपद-आजमगढ़/मऊ/बलिया   प्रेस-विज्ञप्ति   दिनांक 21.03.2025

आजमगढ़

01. थाना रानी की सरायः चोरी गये आभूषण के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 07.03.2025 को वादी रामरतन पटेल S/O स्वर्गीय अछैवर पटेल ग्रा0 मलिक हुसेनपुर थाना रानी की सराय जनपद-आजमगढ़ द्वारा प्रार्थनापत्र दिया गया कि आज दिनांक 7.3.2025 को समय करीब 11.00 बजे दिन में मेरी पत्नी खेत में मटर तोड़ने के लिये गई थी वहां पर अपने कान के दोनो कनफुल उतारकर मटर की गठरी के पास रखी थी कि दो व्यक्ति मोटर साइकल सवार आकर पता पूछने के बहाने मेरे दोनों कान के कनफुल चुरा कर भागने लगे काफी शोर मचाया किन्तु वह भाग निकले जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 61/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत होकर विवेचना उ.नि. ओमप्रकाश यादव द्वारा सम्पादित की जा रही थी। जिसमे प्रकाश मे आये एक अभियुक्त बीरु चौहान पुत्र नन्दलाल चौहान नि0 कतरा कोठिया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को दिनांक 10.03.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 20.03.2025 को उ0नि0 ओमप्रकाश यादव मय हमराह के देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/संदिग्ध वाहन रानी की सराय बाजार मे मौजूद था कि जरिये मुखबीर सूचना मिली कि मु0अ0स0 61/2025 धारा 303(2)/317(2) बी0एन0एस0 का वांछित अभियुक्त रविशंकर चौहान उर्फ शेरू पुत्र राजेन्द्र चौहान निवासी उतरगाँवा थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ इस समय कोटिला पेट्रोलपंप के आगे मेन रोड पर खड़ा है यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर तत्काल मय हमराहियान के कोटिला पेट्रोलपंप के आगे मेन रोड से अभियुक्त रविशंकर चौहान उर्फ शेरू को समय करीब 13.30 बजे गिरफ्तार किया गया जिसकी नियमानुसार जामा तालाशी ली गयी तो उसके पैंट की दाहिने जेब से चोरी की एक जोड़ी पायल बरामद हुआ। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1- रविशंकर उर्फ शेरू चौहान पुत्र राजेन्द्र चौहान निवासी उतरगाँवा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत/आपराधिक इतिहास

1- मु0अ0सं0 61/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना रानी की सराय आजमगढ़
2- मु.अ.स. 13/25 धारा 303(2) भादवि थाना रानी की सराय आजमगढ़
3- मु.अ.स. 47/24 धारा 323/504/506/325 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
4- मु.अ.स. 176/16 धारा 379/411 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
5- मु.अ.स. 242/23 धारा 323/504/506 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
6- निल/19 धारा 110जी भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

बरामदगीः-

1- चोरी का एक जोड़ी पायल

गिरफ्तारी करने वाली टीमः

1- उ.नि. ओमप्रकाश यादव मय हमराह थाना रानी की सराय आजमगढ़

02.थाना सरायमीर: चोरी गये सामान व अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक शातिर अपराधी गिरफ्तार।

पूर्व की घटना-

दिनांक 05.03.2025 को आवेदक सुनील यादव पुत्र रामअवध यादव ग्राम सिकरौर सहबरी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा एक प्रार्थना पत्र बावत दिनाँक 04.03.2025 की बीती रात को अज्ञात चोरो द्वारा उसके घर की खिड़की काट कर घर में रखा पायल, अगूंठी, चैन आदि सामग्री व कुछ नगद पैसे चुरा ले गये थे। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 81/25 धारा 331(4)/305 बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 20.03.2025 को उपरोक्त मुकदमें में (प्रकाश में आये) अभियुक्त **मिथिलेश मौर्या उर्फ मिलन पुत्र सीताराम निवासी ग्राम पवईलाडपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़** को मय चोरी के सामान तथा अवैध शस्त्र व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण–

आज दिनांक 20/03/2025 को उ0नि0 अखिलेश यादव मय हमराह को सूचना मिली की सुनील यादव भट्ठे वाले के मकान में रात में जो चोरी हुई थी वह व्यक्ति जो चोरी किया है भट्ठे के पास से डेमरी गांव होते हुए डेमरी मोड़ सरायमीर सड़क पर आ रहा है जिसके पास चोरी का समान भी है तथा अपने पास असलहा भी रखा है यदि जल्द किया जाए तो पकड़ा जा सकता है इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँचकर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकडे गये व्यक्ति ने अपना नाम मिथिलेश मौर्या उर्फ मिलन पुत्र सीताराम निवासी ग्राम पवई लाडपुर थाना सरायमीर, आजमगढ़ को एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा एक प्लास्टिक की छोटी पन्नी में एक अदद चांदी का सिक्का व एक जोडी पायल सफेद धातु व जेब से 6850/ रुपये के साथ समय करीब 11.45 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मेरे ऊपर कई मुकदमें है जो न्यायालय में चल रहा है। उसमे पैरवीकार को पैसा देने की आवश्यकता थी तो करीब 15 दिन पहले सिकरौर से पहले एक मकान सूनसान जगह पर रोड के किनारे देखा तो मकान के बगल की खिडकी तोडकर मकान के अन्दर रखे एक बक्से से दस हजार रुपया व एक जोडी पायल व एक चांदी का सिक्का था उसे में लेकर उसी खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया था। अभियुक्त का यह कार्य अन्तर्गत धारा-3/25 शास्त्र अधिनियम व मु0अ0सं0 81/25 धारा-331(4), 305, 317 (2) B.N.S का दण्डनीय अपराध बताते हुए समय करीब 11:45 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

गिरफ्तार हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त का नाम व पता –

1. मिथिलेश मौर्या उर्फ मिलन पुत्र सीताराम निवासी ग्राम पवईलाडपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 101/2025 धारा 3/25 शस्त्र थाना सरायमीर आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 81/2025 धारा 331(4)/305 B.N.S व बढ़ोत्तरी धारा 317 (2) B.N.S थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी -

1- एक अदद तमन्चा .315 बोर व एक एक अदद कारतूस .315 बोर।

2- एक जोडी पायल सफेद धातु व एक अदद चाँदी का सिक्का व नकद 6850/- रूपया।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 205/11 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 105/16 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 172/16 धारा 41/411 भा0द0वि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 122/13 धारा 307/411/41 भा0द0वि0 थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 382/11 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।
6. मु0अ0सं0 24/20 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

7. मु0अ0सं0 25/20 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।
8. मु0अ0सं0 241/16 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।
9. मु0अ0सं0 58/23 धारा 8/20 NDPS ACT थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
10. मु0अ0सं0 11/20 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
11. मु0अ0सं0 32/18 धारा 380, 457, 504, 506, 511 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
12. मु0अ0सं0 41/19 धारा 8/20 NDPS ACT थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
13. मु0अ0सं0 166/17 धारा 8/21/22 NDPS ACT थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
14. मु0अ0सं0 261/22 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
15. मु0अ0स0 3/14 धारा .... थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
16. मु0अ0सं0 12/11 धारा 380/457 भा0द0वि0 थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
17. मु0अ0सं0 115/13 धारा 379, 511 भा0द0वि0 थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
18. मु0अ0सं0 380/11 धारा 392 भा0द0वि0 थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।
19. मु0अ0सं0 393/11 धारा 307 भा0द0वि0 थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।
20. मु0अ0सं0 394/11 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।
21. मु0अ0सं0 4/13 धारा 380, 411, 457, 511 भा0द0वि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
22. मु0अ0सं0 305/13 धारा ¾ गुण्डा अधि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
23. मु0अ0सं0 95/21 धारा 8/20 NDPS ACT थाना खेतासराय जनपद जौनपुर।
24. मु0अ0सं0 1045/16 धारा 379, 411 भा0द0वि0 थाना लाइन बाजार जौनपुर।
25. मु0अ0सं0 101/2025 धारा 3/25 शस्त्र थाना सरायमीर आजमगढ़।
26. मु0अ0सं0 81/2025 धारा 331(4)/305 B.N.S व बढ़ोत्तरी धारा 317 (2) B.N.S थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>-

1. उ0नि0 अखिलेश यादव मय हमराह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

<u>03. थाना जीयनपुरः हत्या के 03 आरोपी अभियुक्तों को 3 वर्ष सश्रम कारावास व 1000-1000 हजार रूपये जुर्माना।</u>

➡ दिनांक- 13.11.2006 को वादी मुकदमा श्री महफूज अहमद पुत्र इब्राहीम निवासी पारीपटटी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना जीयनपुर पर लिखित तहरीर दी थी कि दिनांक- 11.11.2006 को मेरे पिता इब्राहीम को अभियुक्तगण **1. नौशाद पुत्र स्व0 इलियास 2. अलीमुन निशा उर्फ अनीमुन पत्नी अंसार 3. शाहजहाँ पत्नी नौशाद निवासीगण पारीपटटी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा लाठी से मारकर घायल कर देना जिससे इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना**।

➡ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0- 1056/2006 धारा -304/34,504,506 भादवि पंजीकृत किया गया।

➡अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 10 गवाह परीक्षित हुए है।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 20.03.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0- 06 जनपद आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त **1. नौशाद पुत्र स्व0 इलियास 2. अलीमुन निशा उर्फ अनीमुन पत्नी अंसार 3. शाहजहाँ पत्नी नौशाद निवासीगण पारीपटटी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ कोदोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000-1000 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।**

04. अवगत कराना है कि आज दिनांक-20.03.2025 को STF लखनऊ व थाना सरायमीर की पुलिस टीम द्वारा जनपद-आजमगढ़ में हुई लूट की घटना में विगत 09 वर्षो से फरार/वांछित रू0 50,000/- का पुरस्कार घोषित अभियुक्त दुर्गेश कुमार उर्फ राधेश्याम उर्फ दीपक कुमार थाना क्षेत्र डिविजन नं0 08, ट्रान्सपोर्ट नगर, जालंधर (पंजाब) से गिरफ्तार किया गया है।

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 05.09.2016 आवेदक हरिदास पुत्र हीरालाल मो0 सिरादी का पुरा सरायमीर आजमगढ के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि घरके करीब मेन रोड पर प्रजापति जनरल स्टोर के नाम से मेरी दुकान है दिनांक04.09.2016 को रात्रि लगभग 9.30 बजे मैं प्रतिदिन की तरह से अपनी दुकान को बन्द करने जा रहा था कि इतने में चार बदमाश असलहो से लैश होकर मेरी दुकान पर आ गये और मुझे और मेरे लडके को असलहा सटाकर नोट से भरे थैले को छीनने लगे मैने हाथा बायी भी किया परन्तु थैले में भरे लगभग 60 हजार रुपये लेकर असलहे को लहराते हुए खरेवाँ मोड की तरफ मोटर सायकिल से भाग गये । उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त प्रा0पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 206/2016 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत हुआ विवेचना के क्रम में अभियुक्त दुर्गेश उर्फ राधेश्याम उर्फ दीपक पुत्र शंकर राम निवासी पंडित दिलीप राय पट्टी थाना सादात जनपद गाजीपुर के का नाम प्रकाश में आया **। उपरोक्त अभियुक्त मुकदमा में फरार चल रहा था जिसमें श्रीमान् पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान चोरी/नकबजनी से सम्बन्धित अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिये 50,000 रूपये का ईमान घोषित किया गया था** । जिसमे आज दिनांक 20.03.2025 को अभियुक्त दुर्गेश उर्फ राधेश्याम उर्फ दीपक उपरोक्त को एसटीएफ टीम लखनऊ द्वारा गिरफ्तार कर थाना सरामयीर आजमगढ़ लाया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण –

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रमएस0टी0एफ0 लखनऊ द्वारा दिनांक 19-03-2025 को विगत 09 वर्ष पूर्व थाना सरायमीर, जनपद-आजमगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 206/2016 धारा 392, 411 भादवि में वांछित रूपये 50,000/- का पुरस्कार घोषित अभियुक्त दुर्गेश उर्फ राधेश्याम उर्फ दीपक पुत्र शंकर राम निवासी पंडित दिलीप राय पट्टी थाना सादात जनपद गाजीपुर को थाना क्षेत्र डिविजन नं0 08, ट्रान्सपोर्ट नगर, जालंधर (पंजाब) से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय JMIC जालंधर, पंजाब द्वारा नियमानुसार स्वीकृत ट्रांजिट वारण्ट के माध्यम से जनपद आजमगढ़ लाया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1.दुर्गेश उर्फ राधेश्याम उर्फ दीपक पुत्र शंकर राम निवासी पंडित दिलीप राय पट्टी थाना सादात जनपद गाजीपुर।

अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 48/16 धारा 394/302/411 भादवि थाना तरवां जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0- 50/16 धारा 307/34 भादवि थाना तरवां जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0- 53/16 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना तरवां जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0- 146/16 धारा 394/411 भादवि थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 – 70/17 धारा 392 भा0द0वि0 थाना चन्दवक जनपद जौनपुर
6. मु0अ0सं0- 1465/ 17 धारा 174 ए भा0द0वि0 थाना चन्दवक जनपद जौनपुर
7. मु0अ0सं0 – 206/16 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
8. मु0अ0सं0 – 07/21 धारा 174 ए भा0द0वि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0श्रीजावेद आलम सिद्दीकी, उ0नि0श्रीचन्द्रप्रकाश मिश्रा, मुख्य आरक्षी मृत्युंजय सिंह, मुख्यआरक्षी यशवंत सिंह
2-चालक मुख्य आरक्षी नागेश मिश्रा मु तैना एस0टी0एफ0लखनऊ
3-व0उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

जनपद –मऊ

1. ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 03 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष की साधारण कारावास व ₹4,000-4,000 के अर्थदंड से हुया दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 20-03-2025 को मु0अ0सं0 387/2017 धारा 323/504 भादवि व 3(1) घ एससी/एसटी थाना सरायलखन्सी में दोषसिद्ध अभियुक्तगण अभिराम पुत्र किशोर चौहान, गुलाबी देवी पत्नी अभिराम चौहान, श्री कृष्ण चौहान पुत्र साधू चौहान निवासीगण सरवा थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 03-03 वर्ष की साधारण कारावास की सजा एवं ₹4,000-4,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री अखिलेश कुमार सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री नवल किशोर सिंह, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी विनोद चौरसिया थाना सरायलखन्सी का सराहनीय योगदान रहा।

जनपद – बलिया

1. थाना सहतवार जनपद बलिया पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित 03 नफर अभियुक्तगण गिरफ्तार ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में अपराध के समूल उन्मूलन एवं आपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे चोरी/ लूट /नकबजनी/ की रोकथाम हेतु अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उत्तरी बलिया श्री अनिल कुमार झा के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी बांसडीह महोदय श्री प्रभात कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 20.03.2025 को थानाध्यक्ष श्री दिनेश कुमार पाठक मय हमराह फोर्स के देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित अभियुक्त में मामूर थे कि मुखविरी सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 50/2025 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम 1986 से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. ढोढ़ा नट उर्फ लक्ष्मण नट पुत्र चन्द्रिका नट ग्राम सिंगही थाना सहतवार जनपद बलिया उम्र- 57 वर्ष 2. छूरी नट उर्फ संजय नट पुत्र सदिक नट ग्राम सिंगही थाना सहतवार जनपद बलिया उम्र- 30 वर्ष 3. गोविन्दा नट पुत्र मंगल नट ग्राम सिंगही थाना सहतवार जनपद बलिया उम्र करीब 26 वर्ष को मुखविर की सूचना के आधार पर उनके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना स्थानीय पर विधिक कार्यवाही पूर्ण कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

सम्बन्धित अभियोग-

मु0अ0सं0 50/2025 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम 1986 थाना सहतवार जनपद बलिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.ढोढ़ा नट उर्फ लक्ष्मण नट पुत्र चन्द्रिका नट ग्राम सिंगही थाना सहतवार जनपद बलिया उम्र- 57 वर्ष
2.छूरी नट उर्फ संजय नट पुत्र सदिक नट ग्राम सिंगही थाना सहतवार जनपद बलिया उम्र करीब 30 वर्ष
3.गोविन्दा नट पुत्र मंगल नट ग्राम सिंगही थाना सहतवार जनपद बलिया उम्र करीब 26 वर्ष ।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिसाह

1.मु0अ0सं0- 33/2024 धारा 379,411 भादवि0 में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सहतवार जनपद बलिया ।

2.मु0अ0सं0 22/2024 धारा 457,380,411 भादवि थाना सहतवार जनपद बलिया।
3.मु0अ0सं0 50/2025 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना सहतवार जनपद बलिया।

2. थाना रेवती जनपद बलिया पुलिस द्वारा चोरी करने वाला 01 नफर अभियुक्त 24 घण्टे में किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से चोरी किया गया समान बरामद।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री कृपा शंकर के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी बैरिया महोदय श्री मो0 फहीम कुरैशी के कुशल नेतृत्व में थाना रेवती पुलिस टीम को मिली महत्वपूर्ण सफलता।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 19.03.2025 को थाना रेवती पर वादी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि सुबह 09 बजे मैं अपने पूरे परिवार के साथ घर में ताला लगाकर महेन्द्रा नाथ धाम जिला सिवान दर्शन पूजन हेतु चला गया था। दर्शन पूजन सम्पन्न कर जब हम लोग उसी दिन शाम 5 बजे अपने घर पहुचें तो देखा कि मेन गेट का ताला टुटा हुआ था और घर में रखा जेवर गायब है। पड़ोसियों द्वारा बताया जा रहा है कि मेरा पटीदार रमेश कुमार पुत्र स्व0 बेचन ठाकुर निवासी मून छपरा थाना रेवती जनपद बलिया मेरे घर के पास कई बार चक्कर लगा रहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि चोरी रमेश कुमार के द्वारा किया गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 112/2025 धारा 305 A बीएनएस पंजीकृत किया गया।

इसी क्रम में आज दिनांक 20.03.2025 को थाना रेवती के उ0नि0 कपिलदेव राम मय हमराह का०प्रवीण निर्मल, का0 राजेश पटेल,मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित विवेचना तलाश अभियुक्त में मामूर थे कि मुखविर खास की सूचना पर अभियुक्त रमेश कुमार पुत्र स्व0 बेचन ठाकुर निवासी मूनछपरा थाना रेवती जनपद बलिया उम्र 25 वर्ष को 24 घण्टे के अन्दर उसके घर से नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। तथा अभियुक्त के कब्जे से चोरी का सामान - 01. माँग टीका पीली धातु 01 अदद, 02. झुमका 01 जोड़ी पीली धातु, 03. मंगलसूत्र 01 अदद पीली धातु, 04. ज्यूतिया 07 अदद पीली धातु, 05. नथूनी 01 अदद पीली धातु, 06. छूछी 01 अदद पीली धातु 07. ज्यूतिया 04 अदद सफेद धातु, 08. सिकड़ी 02 अदद सफेद धातु, 09. अंगूठी 01 अदद सफेद धातु, 10. बिछिया 10 अदद सफेद धातु बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष भेजा गया।

सम्बन्धित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 112/2025 धारा 305 A, बढ़ोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना रेवती जनपद बलिया

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभियुक्त रमेश कुमार पुत्र बेचन ठाकुर निवासी मूनछपरा थाना रेवती जनपद बलिया उम्र 25 वर्ष।

बरामद माल-

पीली धातु

01. माँग टीका पीली धातु 01 अदद,
02. झुमका 01 जोड़ी पीली धातु,
03. मंगलसूत्र 01 अदद पीली धातु,
04. ज्यूतिया 07 अदद पीली धातु,
05. नथूनी 01 अदद पीली धातु,
06. छूछी 01 अदद पीली धातु

सफेद धातु-

01. ज्यूतिया 04 अदद सफेद धातु,
02. सिकड़ी 02 अदद सफेद धातु,
03. अंगूठी 01 अदद सफेद धातु,

04. बिछिया 10 अदद सफेद धातु

3. थाना नरही जनपद बलिया पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त/गोतस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 06 राशि गोवंश (बैल/साड़) व 01 वाहन पिकअप गाड़ी बरामद ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बलिया (दक्षिणी) श्री कृपा शंकर के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सर्किल सदर श्री मो0 उस्मान व प्र0नि0 नरही श्री नदीम अहमद फरीदी थाना नरही के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.03.25 को थाना नरही के उ0नि0 सौरभ श्रीवास्तव मय हमराह हे0का0 शिवप्रवेश पाण्डेय ,का0 निर्भय सिंह मय सरकारी वाहन बोलेरो UP32EG6067 मय चालक का0 उमाशंकर के बगरज देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मुखबीरखास ने आकर बताया कि एक सफेद पिकप वाहन जिसपर लाल तिरपाल लगा है जो गाजीपुर की तरफ से आ रही है जिसमें गोवंशो को लादकर बध करने हेतु बिहार ले जाया जा रहा है यदि चेकिंग की जायेगी तो पकड़ा जा सकता है जिसपर हम पुलिस वाले भरौली गोलम्बर पर बैरियर लगाकर चेकिंग करने लगे की कुछ ही समय मे एक पिकप पर गोवंश लदा हुआ एक पिकप आ गया, जिसमें अभियुक्त एहसान खान पुत्र मुस्ताक खान निवासी युसूफपुर मोहम्मदाबाद जिला गाजीपुर उम्र 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 06 राशि गोवंश (बैल/साड़) व एक वाहन पिकअप गाड़ी रजि0 न0- UP61BT3018 व चेचिस नं0 MA1RA2TTKP1E45411 बरामद किया । अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 68/2025 धारा 3/5A/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 पंजीकृत किया गया । तथा वाहन ट्रक गाड़ी को धारा 207 MV Act में सीज किया गया । अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 68/25 धारा 3/5A/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना नरही जनपद बलिया।

बरामदगी-

1. 06 राशि गोवंश (बैल/साड़)
2. 01 अदद सफेद वाहन पिकअप रजि0 न0- UP61BT3018 व चेचिस नं0- MA1RA2TTKP1E45411

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -

1. एहसान खान पुत्र मुस्ताक खान निवासी युसूफपुर मोहम्मदाबाद जिला गाजीपुर उम्र 20 वर्ष

4.थाना फेफना जनपद बलिया पुलिस द्वारा पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री कृपा शंकर के निकट पर्यवेक्षण में व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी सदर मो0 उस्मान व थानाध्यक्ष फेफना श्री अजय कुमार त्रिपाठी के कुशल नेतृत्व मे थाना फेफना के उ0नि0 मुकेश कुमार यादव मय हमराह थाना फेफना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 55/2025 धारा 74 B.N.S व 9m/10 पाक्सो एक्ट थाना फेफना जनपद बलिया से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अभिषेक कुमार राम पुत्र दिनेश राम निवासी हैदरचक थाना फेफना जनपद बलिया उम्र 19 वर्ष की तलाश में मामूर थे कि मुखविर की सूचना पर दिनांक 20/03/2025 को समय करीब 13.45 बजे थाना क्षेत्र के देवरिया कला मोड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1.अभियुक्त अभिषेक कुमार राम पुत्र दिनेश राम निवासी हैदरचक थाना फेफना जनपद बलिया उम्र 19 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 55/2025 धारा 74 B.N.S व 9m/10 पाक्सो एक्ट थाना फेफना जनपद बलिया।

5. थाना कोतवाली जनपद बलिया द्वारा दुष्कर्म/पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिये चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी बलिया श्री कृपा शंकर के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री श्यामकान्त के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस टीम को मिली सफलता।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 19.03.2025 को वादिनी मुकदमा की तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 108/2025 धारा 75,64(1) बीएनएस व 5एम/6 पाक्सो का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम बनाकर लगातार प्रयास किया जा रहा था कि जिसके क्रम में आज दिनांक 20.03.2025 को थाना कोतवाली पुलिस टीम के उ0नि0 पवन कुमार मय हमराह का0 मनोज कुमार, कां0 कपिल यादव के मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित विवेचनात्मक कार्यवाही में क्षेत्र मे कदम चौराहे के पास मामूर थे कि जरिये मुखबीर खास सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त इस समय जमुआ मोड़ के पास खड़ा है कहीं जाने के फिराक में है अगर जल्दी करेंगे तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर पर विश्वास करके पुलिस बल द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 01 नफर बाल अपचारी उम्र करीब 16 वर्ष को जुर्म से अवगत कराते हुए वांछित होने के कारण नियमानुसार समय करीब 01.10pm बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। थाना स्थानीय द्वारा बाल अपचारी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0-108/2025 धारा 75,64(1) बीएनएस व 5एम/6 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली, बलिया

पुलिस अभिरक्षा में-

1. 01 नफर बाल अपचारी उम्र 16 वर्ष

6. थाना सुखपुरा जनपद बलिया पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के रोकथाम व धर पकड़/ गिरफ्तारी, तलाश वांछित अभियुक्त हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री कृपा शंकर के निकट पर्यवेक्षण, क्षेत्राधिकारी नगर श्री श्यामकान्त व प्रभारी निरीक्षक श्री रामाणय सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना सुखपुरा पुलिस टीम को मिली सफलता।

उल्लेखनीय है कि आज दिनांक 20.03.2025 को थाना सुखपुरा पुलिस टीम के उ0नि0 हरिश यादव मय हमराह के देखभाल क्षेत्र , चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन , जांच प्रा0पत्र, जांच लम्बित विवेचना में मामूर क्षेत्र था कि मु0अ0सं0 74/2025 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 से वांछित अभियुक्त के सम्बन्ध में मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त राजू कुमार उर्फ लड्डू राम पुत्र जिउत राम सा० सुखपुरा थाना सुखपुरा जनपद बलिया उम्र 21 वर्ष को भोजपुर नहर के पास से समय लगभग 08.50 बजे सुबह पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त माननीय न्यायालय भेजा गया।

संबंधित अभियोग-

1. मु0अ0सं0-74/2025धारा 2/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना सुखपुरा जनपद बलिया

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राजू कुमार उर्फ लड्डू राम पुत्र जिउत राम सा० सुखपुरा थाना सुखपुरा जनपद बलिया उम्र 21 वर्ष

7. थाना सुखपुरा जनपद बलिया पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर पीडिता के साथ यौन शोषण करने से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के रोकथाम व धर पकड़/ गिरफ्तारी, तलाश वांछित अभियुक्त हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री कृपा शंकर के निकट पर्यवेक्षण, क्षेत्राधिकारी नगर श्री श्यामकान्त व प्रभारी निरीक्षक श्री रामाणय सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना सुखपुरा पुलिस टीम को मिली सफलता।

उल्लेखनीय है कि आज दिनांक 20.03.2025 को थाना सुखपुरा पुलिस टीम के उ0नि0 जयदीप यादव मय हमराह के मु0अ0सं0 75/2025 धारा 69 BNS की विवेचना तलाश वांछित अभियुक्त के गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में मामूर थे कि जरिए मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त अवनीश यादव पुत्र शिवकुमार यादव निवासी ग्राम सुहवां थाना गड़वार जनपद बलिया उम्र 25 वर्ष को पचखोरा चट्टी के पास से समय लगभग 06.45 बजे सुबह पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त माननीय न्यायालय भेजा गया।

संबंधित अभियोग-

1. मु0अ0सं0-75/2025 धारा 69 बी.एन.एस. थाना सुखपुरा जनपद बलिया

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अवनीश यादव पुत्र शिवकुमार यादव निवासी ग्राम सुहवां थाना गड़वार जनपद बलिया उम्र 25 वर्ष

8. थाना हल्दी पुलिस टीम द्वारा एटीएम कार्ड के जरिए फ्राड करने वाले 04 नफर अन्तर्राज्यीय फ्राडों/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

मुठभेड़ के दौरान 01 नफर आरोपी के पैर में गोली लगने से हुआ घायल।

अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 63 अदद एटीएम कार्ड सहित 02 अदद अवैध तमंचा मय कारतूस बरामद।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) श्री कृपा शंकर के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी बैरिया श्री मो0 फहीम कुरैशी के कुशल नेतृत्व में थाना हल्दी पुलिस टीम को मिली महत्वपूर्ण सफलता।

उल्लेखनीय है कि कि दिनांक 19/20.03.2025 की रात्रि में थाना हल्दी पुलिस टीम रात्रि गश्त/चेकिंग में मामूर थी कि दौराने चेकिंग समय लगभग 02.00 बजे मुखबीर खास की सूचना पर हृदयाचक तिराहे से पीपा पुल पर जाने वाले रास्ते पर एक कार से जाते हुए 04 संदिग्ध लोगो को पुलिस द्वारा रोककर चेकिंग करना चाहा किन्तु चारों उतरकर पुलिस को चकमा देकर भागने का प्रयास किया और उन चारों में से एक व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर अवैध असलहे से हमला कर दिया, थानाध्यक्ष हल्दी श्री विश्वदीप के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा जवाबी कार्यवीही में 01 नफर अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए 04 नफर अभियुक्तगण को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घायल हुआ व्यक्ति द्वारा अपना नाम बच्चा लाल पुत्र स्व0 रामचन्द्र महतो निवासी हरदिया थाना रघुनाथपुर जिला मोतीहारी (पूर्वी चम्पारण) बिहार उम्र करीब 27 वर्ष बताया जिसका इलाज हेतु पुलिस टीम द्वारा जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जबकि अन्य ने अपना नाम क्रमशः 2. साहेब कुमार पुत्र नारद महतो निवासी मढिया बरियारपुर थाना पीयरा कोठी जिला मोतीहारी पूर्वी चम्पारण बिहार उम्र करीब 32 वर्ष 3. मदन महतो पुत्र वासुदेव महतो निवासी पंडीतपुर थाना पीयरा कोठी जिला मोतीहारी (पूर्वी चम्पारण) बिहार उम्र 37 वर्ष 4. लालबाबू महतो पुत्र श्रवण महतो निवासी पंडितपुर थाना पीयरा कोठी जिला मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण) उम्र करीब 38 वर्ष बताया। हिरासत में लिये गये अभियुक्तगण के कब्जे से 02 अदद अवैध तमंचा .315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस.315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस.315 बोर, 63 अदद एटीएम अलग-अलग बैंकों के, एक अदद आई 20 कार नं0 यूपी 16 एबी 2488 व 5200/- रुपये नगद बरामद हुआ। चारों ने पुछताछ में बताया कि हम लोगों का एक गैंग है जो बलिया व अन्य स्थानों पर सीधे-साधे लोगों से ए0टी0एम0 कार्ड फ्राड करके उनका पैसा निकाल लेते है या ट्रांसफर कर लेते है और हम सभी चारो फ्राड किये गये पैसे को अपने में बांट लेते है। चारो द्वारा बताया गया कि हम सब बलिया में कई बार आकर घटना किये है और इसी तरह हम बलिया के अलावा भी यूपी के अन्य

जनपदों और दिल्ली में भी इस तरह का काम करते हैं। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध बलिया, दिल्ली सहित अन्य जगहों पर विभिन्न मुकदमें दर्ज है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना हल्दी पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 48/2025 धारा 109,352 बीएनएस व धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना हल्दी जनपद बलिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. अभियुक्त बच्चा लाल पुत्र स्व0 रामचन्द्र महतो निवासी हरदिया थाना रघुनाथपुर जिला मोतीहारी (पूर्वी चम्पारण) बिहार उम्र करीब 27 वर्ष
2. साहेब कुमार पुत्र नारद महतो निवासी मढिया बरियारपुर थाना पीयरा कोठी जिला मोतीहारी पूर्वी चम्पारण बिहार
3. मदन महतो पुत्र वासुदेव महतो निवासी पंडीतपुर थाना पीयरा कोठी जिला मोतीहारी (पूर्वी चम्पारण) बिहार
4. लालबाबू महतो पुत्र श्रवण महतो निवासी पंडितपुर थाना पीयरा कोठी जिला मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण) बिहार।

अपराधिक इतिहास-

अभियुक्त बच्चा लाल पुत्र स्व0 रामचन्द्र महतो का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0148/2019 धारा 420,34 भादवि0 थाना हजरत निजामुद्दीन दिल्ली।
2. मु0अ0सं0 1155/2023 धारा 379,411,34 भादवि0 थाना अम्बेडकरनगर दिल्ली।
3. मु0अ0सं0 111/2025 धारा 318(4) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद बलिया।

अभियुक्त साहेब कुमार पुत्र नारद महतो का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 111/2025 धारा 318(4) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद बलिया।

अभियुक्त मदन महतो पुत्र वासुदेव महतो का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 111/2025 धारा 318(4) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद बलिया।

अभियुक्त लालबाबू महतो पुत्र श्रवण महतो का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 111/2025 धारा 318(4) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद बलिया।

बरामदगी का विवरण-

1. 02 अदद अवैध तमंचा .315 बोर
2. 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
3. 02 अदद खोखा कारतूस.315 बोर
4. 63 अदद एटीएम अलग अलग बैंकों के
5. 01 अदद आई 20 कार नं0 UP16AB 2488
6. 5200/- रुपये नगद बरामद